तारकनाथ कर

बनाम

लिपिका कर

(दाण्डिक अपील संख्या-836/2008)

07 मई, 2008

(डॉ अरिजीत पसायत और पी.सथाशिवम,जेजे.)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 125 और 362 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिताः-पत्नी को भरणपोषण-अपीलार्थी ने कथित तौर पर दो बार विवाह किया-विचारण न्यायालय द्वारा द्वितीय पत्नी को भरण पोषण का आदेश दिया-निष्पादन-पुनरीक्षण याचिका-विचारण न्यायालय को पुनः नये सिरे से प्रकरण निर्धारण का निर्देश देते हुये उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार की-विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज किया गया-द्वितीय पत्नी द्वारा पुनरीक्षण याचिका पेश की गई-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार करते हुये न्यायालय,नियोक्ता को अपीलार्थी, न्यायालय कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्देश दिया गया-इसकी उचितता-अभिनिर्धारितः अनुचित-पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिये था-व उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार का दिया गया निर्देश अपास्त किया गया।

इस दाण्डिक अपील के निर्धारण हेतु यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आया उच्च न्यायालय पुनरीक्षण क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग करते हुये, धारा 125 दं.प्र.सं. के प्रकरण

से संबंधित पुनरीक्षण याचिका तय करते समय अभियुक्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्देश दे सकता है।

अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि संहिता के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकारिता से संबंधित प्रावधानों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का स्पष्ट निर्देश क्षेत्राधिकारिता से परे है।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार।

अभिनिर्धारितः

1.1 उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर विचार करते हुये आवश्यक रूप से यह निर्धारित न्याय निर्णयन किया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के तहत दण्डनीय अपराध बनना पाया गया (पेरा 7)(969-सी,डी)

1.2 सिविल न्यायालय में दायर शीर्षक वाद लम्बित है, जहां इस उद्घोषणा हेतु प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी उसकी पत्नी नहीं है। यह निर्धारित होना शेष है कि आया तथाकथित रूप से द्वितीय विवाह हुआ तथा आया प्रत्यर्थी, जैसा उसके द्वारा दावा किया गया, उसकी पत्नी थी, या जैसा अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है, ''सी'' अपीलार्थी की पत्नी थी। (पेरा 7)(969-सी,डी)

1.3 पुनरीक्षण क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिये था। ऐसा निर्देश संहिता के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकारिता की परिधि से परे है। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग करते हुये, धारा 125 दं.प्र.सं. के प्रकरण से संबंधित पुनरीक्षण याचिका तय करते समय अभियुक्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने

का निर्देश देने में त्रुटि की। अतः इस सम्बन्ध में मूल आदेश तथा पश्चातवर्ती आदेश में दिये गये निर्देश अपास्त किये जाते हैं।(पेरा 7)

दाण्डिक अपील क्षेत्राधिकारिताः दाण्डित अपील संख्या-836/2008

उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा सी.और.ए.एन. संख्या-593/2005 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 517/2006 के क्रम में-बिजोय अधिकारी, सुब्राता भट्टाचार्य, श्रीपालसिंह एवं राहुलसिंह अपीलार्थी की और से -के.शारदादेवी, प्रत्यर्थी की और से

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉ .अरिजीत पासायत द्वारा दिया गया

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सीऔरऔर संख्या-970/2000 में दिनांक 19.01.2005 को पारित आदेश तथा दिनांक 19.01.2005 के आदेश में स्पष्टीकरण या संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में पारित आदेश को चुनौती दी गई।

3. अपीलार्थी द्वारा वर्णित पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व चन्दना का विवाह 19.02.93 को हुआ व उनके दो पुत्र हुये। 19.09.95 को प्रत्यर्थी लिपिका ने प्रकरण संख्या-320/95 अं.धारा 125 दं.प्र.सं./1993 (संक्षेप में संहिता) अपीलार्थी की पत्नी होने का दावा कर प्रस्तुत किया व भरणपोषण की प्रार्थना की। उक्त प्रकरण एस.डी.जे.एम.,पश्चिम बंगाल के न्यायालय में दायर किया गया। दिनांक 09.07.97 को उक्त प्रकरण विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,बीरभम के आदेश से एस.डी.जे.एम., सूरी न्यायालय में अंतरित किया गया। दिनांक 17.08.97 को चन्दना एस.डी.जे.एम., सूरी के समक्ष उपस्थित हुई तथा कार्यवाही में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 14.01.98 को विद्वान एस.डी.जे.एम ने लिपिका को प्रति माह 400/-रूपये भरणपोषण दिये जाने का एक पक्षीय आदेश पारित किया। उक्त

एक पक्षीय आदेश के निष्पादन हेतु लिपिका द्वारा प्रस्तुत विविध निष्पादन याचिका संख्या-413/98 के विरूद्ध अपीलार्थी ने दिनांक 27.08.99 को दाण्डिक निगरानी प्रकरण संख्या-308/99 दायर की गई। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त एक पक्षीय आदेश अपास्त किया गया तथा एस.डी.जे.एम.को प्रकरण नये सिरे से निर्धारण करने हेतु निर्देशित किया। लिपिका द्वारा प्रस्तुत धारा 125 दं.प्र.सं. का प्रार्थनापत्र एस.डी.जे.एम. द्वारा दिनांक 10.01.2000 को यह अभिनिर्धारित करते हुये अस्वीकार किया गया कि चांदना तारक की विधिपूर्ण विवाहित पत्नी है तथा लिपिका अपीलार्थी की विधिक विवाहित पत्नी नहीं है। लिपिका द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका सी और और. संख्या-970/2000 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार की गई तथा विद्वान एस.डी.जे.एम. का आदेश अपास्त किया गया। उक्त याचिका में कतिपय निर्देश दिये गये, जिनकी उचितता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुये अपीलार्थी द्वारा संशोधान/ स्पष्टीकरण हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। यह अपीलार्थी का विशिष्ठ आधार था कि उसके द्वारा प्रश्नगत किया गया निर्देश अर्थात् अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 05.07.2006 के पश्चात्वर्ती आदेश से यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज किया गया कि संहिता की धारा 362 के अनुसार प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय द्वारा संहिता के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दिए गए निर्देश स्पष्ट रूप से क्षेत्राधिकार से परे जाकर दिए गए हैं। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि पक्षकारान को न्याय दिलाने के महत्ती उद्धेश्य को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देश दिए गए हैं।

5. हस्तगत अपील में हमें, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देश बाबत् विभागीय कार्यवाही औरम्भ करने के सम्बन्ध में विचार करना है। आक्षेपित निर्देश निम्नानुसार हैः-

"निष्कर्ष से पूर्व मेरे विचार से विपक्षी तारकनाथ कर के विरूद्ध उचित कार्यवाही किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि विपक्षी पक्षकार तारकनाथ कर दुर्गापुरा कोर्ट में ग्रुप डी का कर्मचारी है तथा वह एक सरकारी कर्मचारी है। विद्वान मुन्सिफ, प्रथम न्यायालय, दुर्गापुरा के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत टी.एस. संख्या 200/94 में विपक्षी पक्षकार द्वारा यह कथित किया गया कि वह अविवाहित है तथा उसके व प्रत्यर्थी लिपिका कर के बीच विवाह नहीं हुआ। उसने इस उद्घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत कर रखा है कि लिपिका कर उसकी पत्नी नहीं है। तत्पश्चात् उसके व अन्य द्वारा प्रस्तुत सी.और.और. संख्या 1742/95 में सी.और. सं 124/95 दाण्डिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए पैराग्राफ 1 में यह उल्लिखित किया गया है कि वह विपक्षी पक्षकार संख्या 1 लिपिका कर का पति है तथा पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र के पैरा संख्या 4 (ए) में यह उल्लिखित किया था कि 17.03.1994 को उसका विवाह अप्रार्थी संख्या 1 के साथ सम्पन्न हुआ। विद्वान एस.डी.जे.एम. सुरी के समक्ष विविध प्रकरण संख्या 320/95 में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतुर्थ न्यायालय, बांकुरा की आदेशिका की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थी तारकनाथ कर के द्वारा यह कहानी प्रस्तावित की गई कि उसका विवाह चन्दना कर के साथ 16.02.1993 को हुआ तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतुर्थ न्यायालय, बांकुरा के समक्ष एक विविध प्रकरण संख्या 153/97 में संहिता की धारा 125 के तहत उसके विरूद्ध भरण-पोषण आदेश पारित हुआ। अतः कागजात व दस्तावेज से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी ने एक बार चन्दना कर के साथ 16.02.1993 को तथा दूसरी बार लिपिका कर के साथ 07.03.1994 को

विवाह होने, इस प्रकार दो बार विवाह होने सम्बन्धी कागजात प्रस्तुत किये हैं। अप्रार्थी न्यायालय का तथा सरकारी कर्मचारी होने के कारण नियोक्ता अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना दुबारा विवाह नहीं कर सकता। अप्रार्थी के इस आचरण को भी नियोक्ता तथा प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा दृष्टिगत रखा जावे कि सरकारी कर्मचारी नहीं होने की स्थिति में भी अप्रार्थी हिन्दू होने के कारण वर्तमान कानून के तहत दो बार विवाह नहीं कर सकता। उक्तानुसार विद्वान जिला न्यायाधीश, बरद्वान काे, अप्रार्थी के नियोक्ता व अनुशासनात्मक अधिकारी होने से उसके तथाकथित दुबारा विवाह करने हेतु आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तथा कागजात व दस्तावेजात को विपक्षी के निलम्बन हेतु सन्तुष्टिप्रद पाए जाने पर वे विधि अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही औरम्भ करने हेतु तथा यह तय करने हेतु कि आया तारकनाथ कर को निलम्बित किया जावे, आवश्यक कदम उठायेंगे।

विद्वान रजिस्ट्रार (प्रशासनिक) को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति विद्वान जिला जज बरद्वान को सी.और.और. संख्या 1742/95 के पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र, टी.एस. संख्या 200/94 की अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका की प्रति, लिपिका कर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की प्रति तथा विद्वान एस.डी.जे.एम. सूरी के समक्ष संहिता की धारा 125 के तहत प्रस्तुत प्रकरण संख्या 320/95 में तारकनाथ कर द्वारा प्रस्तुत लिखित कारण बताओ तथा अनुलग्नक व एस.डी.जे.एम. सूरी के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श जी श्रृंखला की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित हो। विद्वान रजिस्ट्रार (प्रशासनिक) विद्वान एस.डी.जे.एम. सूरी को निर्देशित कर सकते हैं कि उस न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 125 के तहत प्रस्तुत विविध प्रकरण संख्या 320/95 में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की प्रति/जिरोक्स प्रति तथा उक्त विविध प्रकरण संख्या 320/95 में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित कारण तथा अनुलग्नक की प्रति तथा उक्त केस में प्रदर्शित जी श्रृंखला की प्रति उन्हें प्रेषित करें ताकि सभी कागजात व

दस्तावेजात संग्रहित करने के बाद वे सभी कागजात दस्तावेजात को विद्वान जिला जज बरद्वान को प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर सकें''

6. पश्चात्वर्ती आदेश दिनांक 05.07.2006 में उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 362 के तहत संशोधन/परिवर्तन हेतु सीमित क्षेत्राधिकार पर प्रकाश डाला है।

7. यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 125 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर विचार करते हुए आवश्यक रूप से यह न्यायनिर्णयन दिया कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 (संक्षेप में भा.दं.सं.) की धारा 494 के तहत् अपराध गठित हुआ। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि शीर्षक वाद (टी.एस. 200/94) जो दुर्गापुरा सिविल न्यायालय में दायर किया गया, लम्बित है, जहाँ इस उद्घोषणा हेतु प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी उसकी पत्नी नहीं है। यह तय होना शेष है कि आया तथाकथित वर्णित द्वितीय विवाह हुआ तथा आया लिपिका कर उसकी पत्नी है या जैसा अपीलार्थी ने दावा किया कि चंदना कर उसकी पत्नी है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्यवाही औरम्भ करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार का निर्देश संहिता के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की परिधि से परे का है, इसलिए संहिता की धारा 125 से सम्बन्धित प्रकरण में पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र को तय किए जाते समय विभागीय कार्यवाही औरम्भ करने हेतु निर्देश देने में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से त्रुटि की है। इस सम्बन्ध में मूल आदेश तथ पश्चात्वर्ती आदेश में दिए गए निर्देश अपास्त किए जाते हैं।

8. अपील इस सीमा तक स्वीकार की जाती है।

एस.के.एस. अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुमन सहारण (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।